संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2003

अधिसूचना

कमांक एफ 6–3/सं./तीस/2003 – छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियमन्) अधिनियम, 1952 (क्र. 17 सन् 1952) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियमन) नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

1. नियम 101 के "प्रारूप ड." के शर्ते तथा निबंधन में निबंधन 1 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए।

"(घ) प्रत्येक सिनेमा गृह, विडियों पार्लर और चल सिनेमा गृह में प्रतिदिन प्रत्येक शो में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कम से कम दो स्लाइड्स/संदेश निशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस शर्त का पालन न किए जाने के मामले में उनकी अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त की जा सकेगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

11/09/03
जयसिंह म्हस्के, उपसचिव

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2003

कमांक एफ 6–3 /सं./तीस/2003– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 6–3/सं./तीस दिनांक 11 सितम्बर, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

11/09/03
जयसिंह म्हस्के, उपसचिव

96

Raipur, dated 11 September 2003

Notification

No F 6-3/Culture/XXX/2003 – In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Chhattisgarh Cinema (Regulation) Act, 1952 (N0. XVII of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Cinemas (Regulation) Rules, 1972, namely · -

Amendment

In the said rules, -

1. After clause (c) in term 1 in conditions and restrictions of "Form E" of rule 101 the following clause (d) shall be inserted.

"(d) The free exhibition of atleast two slides/messages regarding environmental conservation, shall be compulsory in every show in every cinema theatre, video parlour and touring cinema. In case of non compliance of the condition by the licence holders their licence may be cancelled immediately."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

11/09/03

Jai Singh Mhaskey, Deputy Secretary